

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 698]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2010—पौष 9, शक 1932

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्र. एफ-23-41-2008-पैतीस.— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 57 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पशुपालन विभाग के समस्त सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन समस्त प्रकार की लघु चिकित्सा सेवा देने की अनुज्ञा से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-2001-पैतीस (2) दिनांक 13 मार्च, 2001 में आंशिक संशोधन करते हुए बिन्दु क्रमांक (2) "कृत्रिम गर्भाधान तथा उनसे संबंधित मामले" विलोपित करती है.

No. F-23-41-2008-XXXV.—State Government, exercising the powers under clause (b) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 57 of the Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984) amend the notification No. F-3-2-2001-XXXV dated 13th March, 2010 deleting para 2 "Artificial Insemination and related matters" related to permission to all the Assistant Veterinary Field Officers of the Department of Animal Husbandry to render under the supervision and direction of a registered veterinary practitioner all types of minor veterinary services.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज गोयल, प्रमुख सचिव.